


सहायक कलक्टर माण्डल

१५/११/२१ पत्रावली पेश हुई, वकील प्राथमिक उपस्थित, विपक्षी के सम्मन बाद तामिल होकर वीजे-एडी से प्राप्त हुए जिसे शा-पत्र दिये गये। विपक्षीगण को कितनी बार क्रक-क्रक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही दिये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्राथमिक का शा-पत्र स्वीकार किया जाकर निष्पि पृथक से लिखा जाकर शा-पत्र दिया गया। पत्रावली के एक श्रुमात्र होकर नम्बर से कम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 80/24 प्रा-पत्र

1- श्रीमती दशरथ कंवर 40 श्री भास्कर सिंह राजपूत निवासी गुडा तहसील-माण्डल (कोटा)

-प्रार्थी

बनाम

1- श्रीमती गारज कंवर 40 श्री नाहर सिंह राजपूत निवासी-गुडा तहसील-माण्डल (कोटा)  
[प्रकाशित प्रा-पत्र संख्या]

-विपक्षीयण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 14.5.24


::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गुडा पटवार हल्का संतोकपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं 528, 531 कुल किता 02 रकबा 0.3921 हेक्टेयर रिथत है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आधे दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03.4.24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का आदेश है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गुडा पटवार हल्का संतोकपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं 528, 531 कुल किता 02 रकबा 0.3921 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक मेजा को 500 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में गौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल